न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपील संख्याः 214/2016

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई.ए.एस

मैसर्स प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति बिदरखा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बिदरखा पंचायत समिति लालसोट जरिए अध्यक्ष शम्भू देवी मीना पत्नि रामेश्वर मीना निवासी रामनगर रेवडी पंचायत समिति लालसोट

...अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा ...रेपोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी,
दौसा दिनांकः 02.08.2016

उपस्थितः1.श्री प्रकाश चन्द जैन, अधिवक्ता अपी0 पक्ष
2.श्री कन्हैया लाल रैगर, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 04.10.2017

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, दौसा ने दिनांकः 02.08.2016 को अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति बिदरखा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बिदरखा पंचायत समिति लालसोट जरिए अध्यक्ष शम्भू देवी मीना पत्नि रामेश्वर मीना निवासी रामनगर रेवडी पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलान्ट मैसर्स प्राथमिक महिला उद्देश्य सहकारी समिति उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बिदरखा की अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 48/2011 है जो उचित मूल्य सामग्री का वितरण कार्य करती आ रही है, प्रवर्तन अधिकारी लालसोट द्वारा तारीख 14.8.2015 को उक्त समिति की जांच की जाकर रिपोर्ट 18.08.2015 को पेश की गई जिसमें प्रार्थी सहकारी समिति लालसोट के विरूद्ध कोई गंभीर अनियमितता नही पाई गई परन्तु फिर भी प्रकरण संख्या 165/15 दर्ज कर 18.08.2015 को उक्त लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया व रेस्पाडेन्ट डी एस ओ दौसा द्वारा दिनांक 15.09.2015 को डीलर के विरूद्ध प्रवर्तन अधिकारी लालसोट को एफ आर दर्ज कराने के आदेश दिये जिसमें प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट के विरूद्ध पुलिस थाना रामगढ पचवारा मे एफ आई आर सं0 252/15 दिनांक 18.11.2015 को दर्ज

करवाई गई जिस पर थाना रामगढ पचवारा द्वारा पूर्णतय जांच कर कोई अनियमितता व गबन साबित नहीं होने पर एफ आर पेश कर दी जिसका नम्बर 833/16 है, प्रार्थी अपीलांट ने उक्त निलम्बन आदेश दिनांक 18.08.2015 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रार्थी पर लगाये आरोपो को वापिस लिये जाने पर उक्त अपील निष्प्रभावहीन हो जाने के कारण खारिज कर दी गई व प्रार्थी का निलम्बन आदेश वापिस ले लिया गया, जिसके बाद डी एस ओ द्वारा बिना कोई जांच किये व बिना उपभोक्ताओ के बयान लिये दिनांक 02.08.2016 को प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया। प्रवर्तन अधिकारी लालसोट द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सहकारी समिति बिदरखा की जांच की गई जिसके उपरान्त तारीख 06.10.15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें समिति पर पांच आरोप लगाये गयें जिसका उचित जवाब अपीलांट द्वारा तारीख 12.07.2016 को दे दिया गया । जो उक्त नोटिस में अपीलांट के विरूद्ध आरोप लगाये है वे सभी तकनीकी संबंधित आरोप है। काला बाजारी के संबंधित कोई भी स्पष्ट आरोप कारण बताओं नोटिस में नही है, उक्त निर्णय दिनांक 02.08.2016 में जिला रसद अधिकारी दौस द्वारा अपीलांट द्वारा जवाब को ना तो कन्सीडर किया और ना ही जवाब बाबत कोई निष्कर्ष अपने आदेश में लिया गया केवल मात्र जवाब संतोष जनक नही मानते हुए निर्णय पारित किया है जो कि नोन स्पीकिग आदेश की श्रेणी में आता है जो कि विधिक रूप से उचित नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का आदेश दिनांक 02.08.2016 खारिज फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि प्रवर्तन निरीक्षक, लालसोट द्वारा अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार की जॉच दिनांक 14.08.2015 को जांच की जाकर दिनांक 18.08.2015 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश की गई। जिसमें निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गईः—

1. ग्राम पंचायत बिदरखा में उक्त महिला सहकारी समिति एफपीएस का काम कर रही है प्राधिकार पत्र संख्या 48/2011 जारी हो रखा है। जो अध्यक्ष के नाम जारी है जबकि वास्तविक रूप से वितरण कार्य श्री रामेश्वर मीना द्वारा किया जा रहा है तथा मौके पर वितरण रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया।
2. दुकान स्वयं के निजी मकान परिसर मे बना रखी है जो कि सार्वजनिक स्थान नही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि सामग्री लेने जाते है तब रामेश्वर मीना सामग्री नही देता है तथा अभद्र व्यवहार करता है गालियां देता है।
3. कई राशनकार्डो पर केरोसीन तेल नही दिया है जबकि वितरण रजिस्टर में फर्जी एन्ट्री कर रखी है राशनकार्डो संख्या 00003, 00006, 00013, 00017, 00047, 00044, 00045, 00049, 00063, 00070, 00072, 00073, 00081, 00084, 00113, 00175 पर विभिन्न महिनो मे केरोसीन नही दिया है। राशनकार्ड खाली पडे है।
4. खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनितो को गेहूं नही दिया गया है जबकि वितरण रजिस्टर में फर्जी एंट्री की गयी है। राशनकार्ड संख्या 00044, 00063, 00070, 00081 इत्यादि।

एक ही राशनकार्ड को एक ही महिने मे कई बार नाम बदल बदल कर केरोसीन तेल की फर्जी एन्ट्रीयां रजिस्टर में कर गबन किया गया है। मौके पर उपभोक्ताओ ने पूछताछ दौरान गेहूं नही लिया जाना बताया गया है तथा राशनकार्ड क्रमशः 00013, 00003, 00045, 00181, 00075, 00047, 00063, 00073, 00049, 00113 इत्यादि नही है। जबकि वितरण रजिस्टर में फर्जी इन्द्राज कर दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,8,11,14,15,17सी, 18 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जॉच के आधार पर डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी की जॉच रिपोर्ट में हॉलाकि रिकॉर्ड जॉच हेतु पेश नहीं करना डीलर की अनियमितता है। किंतु उससे भी गंभीरता का विषय डीलर द्वारा फर्जी राशनकार्डो में एण्ट्री की जाकर राशन सामग्री का दुरूपयोग कर कालाबाजारी की गई है। डीलर के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण किया जाना व उसके द्वारा उपभोक्ताओ से अभद्र व्यवहाकर करना बहुत ही गलत कृत्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग अभद्रता के डर से सामग्री नहीं लेने आवें और उसकी कालाबाजारी की जा सकें। डीलर को आवंटित स्थान की जगह अन्य स्थान पर सामग्री रखना डीलर की बदयान्ती का द्योतक है। इस प्रकार डीलर का कृत्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट है कि डीलर द्वारा अधिक मुना्फा कमाने की दृष्टि से कालाबाजारी कर उक्त कृत्य किया गया है। जिसके लिए वह दोषी है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,6,8,11,14,15,17सी, 18 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी, दौसा के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 04 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा